

न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

तारीख रजू:- 15.10.2013

सुनं० 155/2013


रमन आदि बनाम सुगर बगै०

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

7.09.2019 पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं आया।
तन-बार आवाज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया है ना ही कोई आवेदन
त्र प्रस्तुत किया है। वकील गैरसायल में अपने जवाब प्रार्थनापत्र में कोई काउण्टर
त्रेम भी नहीं चाहा गया है।

अतः सायल का प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम
लाफ गैरसायलान का अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। तथा
न्यायालय से जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.10.2013 अपास्त की
गि है। पत्रावली फैसल सुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


उप जिला कलक्टर
उपरजुंड अधिकारी
हिण्डौन